पत्र सं शोध/जीएसटी/पत्रा0सं0–783 /2017–18/ /वाणिज्य कर

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
दिनांक लखनऊ 28 सितम्बर 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर
डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर
असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2017 को **PRAGATI** समीक्षा के दौरान वस्तु एवं सेवा कर(जी0एस0टी0) के अन्तर्गत व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों के तत्काल निराकरण का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाये, उनकी सहायता की जाये तथा उन्हें तकनीकी सहयोग (**Technical support**) प्रदान किया जाये। यद्यपि रूपये 20 लाख की सीमा तक व्यापार करने वाले व्यक्ति पर जी0एस0टी0 प्रभार्य नहीं है, किन्तु उन्हें जी0एस0टी0 से जोड़ा जाना आवश्यक है ताकि उनको व्यापार में सुविधा हो। जिला स्तर पर व्यापार मण्डलों के साथ बैठकें आयोजित कर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किये जाने तथा डिजिटल करेन्सी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु लोगों को प्रोत्साहित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

इस सन्दर्भ में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु निम्नवत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है–

1. सभी अधिकारीगण व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण की व्यवस्था करेंगे। इस हेतु वांछित विधिक एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त कराया जाये तथा जिन मामलों में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें जी0एस0टी0एन0 से सम्पर्क कर हल कराने का प्रयास किया जाए। वाणिज्य कर मुख्यालय स्थित आई0टी0 अनुभाग के अधिकारियों से भी इस हेतु मदद ली जा सकती है।

2. व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाये, उनकी सहायता की जाये तथा उन्हें तकनीकी सहयोग (**Technical support**) प्रदान किया जाये। इस हेतु पूर्व से स्थापित समस्त हेल्प डेस्क व्यापारियों का पूर्ण सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे। एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर लगातार हेल्पडेस्क का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा व्यापारियों की समस्याओं का सम्यक रूप से निदान किया जा रहा है।

3. समस्त कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिक्षेत्र के व्यापारियों द्वारा खण्ड कार्यालय में सम्पर्क करने पर उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए उसका निराकरण किया जाये।

4. यद्यपि रूपये 20 लाख की सीमा तक व्यापार करने वाले व्यक्ति पर जी0एस0टी0 प्रभार्य नहीं है, किन्तु उन्हें जी0एस0टी0 से जोड़ा जाना आवश्यक है ताकि उनको व्यापार में सुविधा हो। अतः जी0एस0टी0 में पंजीयन लेने के लाभ से व्यापारियों को अवगत कराया जाये। इस हेतु

व्यापक प्रचार–प्रसार अभियान सेमिनारों का आयोजन कर, समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न बाजारों में कैम्प लगाकर, व्यापारियों को जागरूक कर किया जाये।

5. डिजिटल करेन्सी का अधिकाधिक प्रयोग करने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाये।

6. जिला स्तर पर व्यापार मण्डलों के साथ बैठकें आयोजित कर व्यापारियों की जी0एस0टी0 सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया जाये।

7. व्यापार बन्धु की बैठक का तत्काल आयोजन कराया जाये तथा उपरोक्त में व्यापारियों की जी0एस0टी0 से सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी कर उनका निराकरण कराया जाये।

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण गम्भीरता के साथ की जाये। किसी भी अधिकारी द्वारा इस सन्दर्भ में लापरवाही बरतने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कृत कार्यवाही की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी की जायेगी। समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2017 तक मुख्यालय के जी0एस0टी0 अनुभाग को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

28/09/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0संख्या 1413 दिनांक एवं विषयक उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
3. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

28.09.17

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।